



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या-प0नि0 30-111/2015- 1831

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा, (मा0प्र0से0)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत)।

पटना, दिनांक- 5.5.26

विषय:- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 से संबंधित कागजातों के विनष्टिकरण के संबंध में।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 86 में निर्वाचन संबंधी अभिलेखों का विनष्टिकरण करने का प्रावधान है, जो निम्न है :-

"नियम-84 में निर्दिष्ट निर्वाचन अभिलेख एक वर्ष की कालावधि तक या किसी विधिक कार्यवाही के लंबित रहने की कालावधि तक अभिरक्षा में रखे जायेंगे और तत्पश्चात् आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निर्देश के अधधीन उन्हें नष्ट कर दिया जायेगा।"

विदित है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर निर्वाचन सम्पन्न हो जाने के उपरान्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 67, 68 एवं 76 (3) में निर्दिष्ट पैकेटों को अभिरक्षा में रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026 में पंचायत आम निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु प्रारंभिक तैयारी आरंभ हो चुकी है।

अतः निदेश दिया जाता है कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 से संबंधित नियम 84 के अधीन रखे गये अभिलेखों/कागजातों के विनष्टिकरण की कार्रवाई जांचोपरान्त नियम-86 के अधीन किसी विधिक कार्यवाही के लंबित रहने के स्थिति में संबंधित अभिलेखों को छोड़कर नियमानुसार की जाय।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 30-111/2015- 1831

पटना, दिनांक- 5.5.26

प्रतिलिपि : आई0टी0सेल0, राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 30-111/2015- 1831

पटना, दिनांक- 5.5.26

प्रतिलिपि : सचिव, पंचायती राज विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 30-111/2015- 1831

पटना, दिनांक- 5.5.26

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।